रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3917] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2018/ आश्विन 11, 1940
No. 3917] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5096(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए पुडुचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	सचिव, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी ।	पदेन अध्यक्ष
(2)	निदेशक, मत्स्य और मछुआरा कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी ।	पदेन सदस्य
(3)	मुख्य नगर योजनाकार, नगर और देश योजना विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी ।	पदेन सदस्य
(4)	प्रोफेसर डा. आर. रमेश, निदेशक, राष्ट्रीय भरणीय तट प्रबंधन केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर, चेन्नई – 25	सदस्य (विशेषज्ञ)
(5)	डा. एम.वी. रमन्ना मूर्ति, वैज्ञानिक 'जी' और निदेशक, राष्ट्रीय तट अनुसंधान केन्द्र, एनआईओटी परिसर, चेन्नई	सदस्य (विशेषज्ञ)

(6)	तिरु जर्गन पुट्ज, निदेशक, पलमीरा पारिस्थितिकीय भू-उपयोग, जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास केंद्र अरुविल्ले, तमिलनाडु	सदस्य (एनजीओ)
(7)	सदस्य-सचिव, पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति, पुडुचेरी	पदेन सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पुडुचेरी में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा. सं. जे-17011/13/1999-आईए-III(भाग)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2018

S.O. 5096(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Puducherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

S.No.	Members	Status
(1)	Secretary, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry, Puducherry.	Chairman, ex-officio;
(2)	Director, Department of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Puducherry, Puducherry.	Member, ex-officio;
(3)	Chief Town Planner, Department of Town and Country Planning, Government of Puducherry, Puducherry.	Member, ex-officio;
(4)	Prof. Dr.R. Ramesh, Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Anna University Campus, Chennai;	Member (Expert);
(5)	Dr. M.V.Ramana Murthy, Scientist 'G' and Director, National Central for Coastal Research, NIOT Campus, Chennai;	Member (Expert);
(6)	Thiru. Jurgen Putz, Director, Palmyra, Centre for Ecological Landuse, Water Management and Rural Development, Auroville, Tamil Nadu.	Member (NGO);
(7)	Member Secretary, Puducherry Pollution Control Committee, Puducherry.	Member Secretary, ex-officio.

2. The Authority shall have its headquarter at Puducherry.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be one third of the total number of its members.

4. A member, other than an ex-officio member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Puducherry, take the following measures, namely: -

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union territory Administration.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No.J-17011/13/1999-IA.III(pt.)]

RITESH KUMAR SINGH , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.10.08 20:24:19 +05'30'